भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09 जून 2016 की बैठक के कार्यवृत्त

संस्थान की **राजभाषा कार्यान्वयन समिति** की बैठक दिनांक **09 जून 2016** को **मध्याह्न 12.00 बजे** प्रशासनिक खण्ड के प्रथम तल पर स्थित समिति कक्ष में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए --

1.	आचार्य राजीव संगल, निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. शुभेन्दु प्रकाश माथुर, कुलसचिव	–	सदस्य
3.	आचार्य ए.के. मुखर्जी, अधिष्ठाता (छात्र कार्य)	–	सदस्य
4.	आचार्य जी.वी.एस. शास्त्री, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य)	–	सदस्य
5.	आचार्य संजय कुमार पांडेय, गणितीय विज्ञान विभाग	–	सदस्य
6.	आचार्य सुशांत कुमार श्रीवास्तव, भैषिजकी विभाग	–	सदस्य
7.	श्री राजन श्रीवास्तव, संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन–प्रथम)	–	सदस्य
8.	सुश्री स्वाति बिस्वास, उपकुलसचिव(लेखा)	–	सदस्य
9.	डा. सर्वेश कुमार तिवारी, उपकुलसचिव (प्रशासन–द्वितीय)	–	सदस्य
10.	श्री जगदीश नारायण राय, संयोजक, नगर सचिवालय, हिंदी परिषद, वाराणसी।	–	आमंत्रित सदस्य
11.	श्री गंगा राम, सहायक कुलसचिव (प्रशासन–प्रथम)	–	सदस्य सचिव

आचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी, अधिष्ठाता (संसाधन एवं पूर्व छात्र)–उपाध्यक्ष, आचार्य धनंजय पांडेय, अधिष्ठाता (संकाय कार्य)–सदस्य, आचार्य पी.के. जैन, अधिष्ठाता (अनुसंधान एवं विकास) –सदस्य, डॉ. सत्यवीर सिंह, रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग– सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के मदों पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

मद सं. 1:पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि–

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.11.2015 की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए निम्न निर्णय लिये गए--

(क) प्रोफेसर पद के लिए प्राचार्य के स्थान पर आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाए।

(ख) संस्थान के विविध प्रपत्रों को (जो कि हिंदी व अंग्रेजी में अलग–अलग उपलब्ध हैं) द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाए।

दिनांक 20.11.2015 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए समिति के सदस्यों को कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्यवाही की जानकारी दी गई। समिति की दिनांक 20.11.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गए निर्णय के अनुपालन में निम्न कार्य किये गये–

गंगाराम

कृ.प.ज.

(i) राजभाषा सलाहकार समिति का गठन एवं विस्तार।
(ii) कर्मचारियों को हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाना।
(iii) द्विभाषी प्रपत्र बनाए गए।
(iv) प्रशासनिक अनुभाग में द्विभाषी नामपट्टिका का लगाया जाना।
(v) उपस्थिति पंजिकाओं पर कर्मचारियों का नाम हिंदी में लिखा जाना।
(vi) संस्थान से जारी होने वाली सूचनाओं को द्विभाषी रूप में निकाला जाना।
(vii) समूह 'ग' के कर्मचारियों के पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना।

मद सं. 2 :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2016-2017 को प्राप्त करने हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श एवं चर्चा की गई।

समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरांत निम्न निर्णय लिए गए –

1. कार्यालयी कार्यों में हिन्दी की मानक प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए। इस संदर्भ में सभी संकायों/विभागों/विद्यालयों/इकाईयों तथा अनुभागों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित **प्रशासनिक शब्दावली (Glossary of Administrative terms)** उपलब्ध कराकर वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. समस्त अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध किया जाए कि समस्त शिक्षकगण तथा अधिकारियों के नामपट्ट एवं मुहर द्विभाषी रूप में तैयार कराए जाए।
3. हिन्दी के प्रसार–प्रचार को बढ़ावा देने हेतु संस्थान में सूचनाएं/परिपत्र आदि द्विभाषी रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया। समस्त विभागाध्यक्ष, प्रभाग प्रभारी/अनुभाग अधिकारी इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें।
4. राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी टंकण/आशुलिपिक संबंधित प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से अगली तिमाही में कर्मचारियों को **यूनिकोड** का प्रशिक्षण दिया जाए।
5. दैनिक रूप से कार्यालयी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली कम से कम 50 (पचास) महत्वपूर्ण शब्दों की एक हिन्दी शब्दावली बनाकर पत्रावली के पार्श्वपृष्ठ पर मुद्रित कराया जाए।
6. हिन्दी लेखन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान स्तर पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए।
7. अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान में अनुवाद एवं हिंदी को बढ़ावा देने की सलाह दी गई। इस संदर्भ में समन्वयक, **क्यू.आई.पी. (Q.I.P.)** को अनुवाद एवं हिन्दी में पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराने के प्रावधान हेतु पत्र लिखा जाए।
8. वर्तमान से राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा प्रभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाए।
9. यह निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक पुस्तकों के लिए एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हिन्दी भाषा की पुस्तकों का क्रय किया जाए।
10. संस्थान के मुख्य पुस्तकालय में हिन्दी भाषा की अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए।

11. अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग द्वारा, स्थापित उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन केन्द्रों को दस करोड़ रुपये की अनुदान राशि आवंटित करना प्रस्तावित है। *(प्रतिलिपि अनुलग्न–पृष्ठ सं0 2)* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का.हि.वि.) में अवस्थित मालवीय नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता संवर्धन केन्द्र के द्वारा हिन्दी भाषा के संवर्धन एवं विकास हेतु नीति आयोग के प्रारूप के अनुरूप प्रस्ताव भेजने का अनुरोध सुनिश्चित किया जा सकता है।

बैठक, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न की गई।

(गंगा राम)
सदस्य सचिव

(जगदीश नारायण राय)
आमंत्रित सदस्य

(स्वाति बिस्वास)
सदस्य

(सर्वेश कुमार तिवारी)
सदस्य

(राजन श्रीवास्तव)
सदस्य

(सुशांत कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य

(संजय कुमार पांडेय)
सदस्य

(जी.वी.एस. शास्त्री)
सदस्य

(ए.के. मुखर्जी)
सदस्य

(शुभेन्दु प्रकाश माथुर)
सदस्य

(राजीव संगल)
अध्यक्ष